विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

(क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना :

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर क्रमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फेंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है। बीमित माहीगीर की मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को 50,000/– रूपये तथा अपंगता की दशा में उसे 25,000/– रूपये प्रदान किये जाने का प्रावधान था किन्तु विभाग के अथक प्रयासों के कारण वर्ष 2009–10 में इस राशि को बढ़ा कर क्रमशः 1,00,000/–रूपये व 50,000/–रूपये कर दिया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान इस योजना के कार्यान्वन में 11,100 मछुओं की बीमा सुरक्षा पर मु0 1,60,950/–रू0 का राज्य भाग तथा इतनी ही राशि केन्द्र भाग के रूप में व्यय की गई।

(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजनाः

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए **''मछुआरा जोखिम निधि''** की स्थापना की गई है।

प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतू इन संयत्रों के कुल मूल्य का 33 प्रतिशत भाग इनको मुरम्मत हेतू इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञाप्ति पत्र प्राप्त करते समय छः रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है।

(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीजन राहत योजनाः

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबर्न्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में 01 जून से 31 जुलाई तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय में बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत इस अशंदायी आर्थिक सहायता स्कीम की स्थापना की गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 40/– रूपये प्रतिमाह अपना अशंदान इस कोष में जमा करवाता है। इस प्रकार से जमा कुल 1200/– रूपये में केन्द्रीय सरकार 400/– रूपये प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 400/– रूपये अपना अशंदान जमा करते हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अशंदान 1200/– रूपये प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बंद सीजन में कमशः 600–600/– रूपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहीगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं।

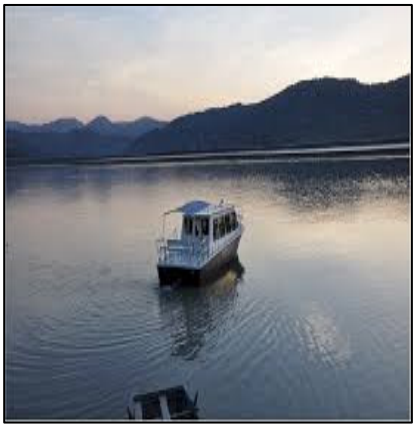

ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना
(केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सके। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है। जिसकी सहायता से प्रदेश के जल संसाधनों के दोहन के लिए आम जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाएंः

- नए मछली तालाब निर्माण हेतू, जिनमें स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान हो, रूपये 4 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से तालाब निर्माण के खर्चे पर सामान्य जाति के लोगों को निर्माण के 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा 80 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए अनुदान की दर 25 प्रतिशत है तथा अनुदान की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये प्रति हैक्टेयर है। इस वर्ष नए तालाबों के अन्तर्गत 19.21 हैक्टेयर भूमि लाई गई है।

- पुराने जल क्षेत्रों (तालाबों) की मुरम्मत के लिए सामान्य जाति के लोगों को मु0 15,000 रूपये प्रति है0 की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत्स्यपालकों के लिए यह राशि 18,750 रूपये प्रति है0 है। इस वर्ष पुराने तालाबों के अन्तर्गत 10.50 हैक्टेयर जल क्षेत्रों की मुरम्मत की गई।

- मत्स्य पालन अपनाने पर प्रथम वर्ष में मछली बीज, खाद, खुराक इत्यादि पर दिये जाने वाले व्यय में सामान्य जाति के लोगों को 20 प्रतिशत या मु0 10,000 रू0 प्रति है0, जो कम हो, अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए यह राशि 12,500 रूपये प्रति है0 है।

- मछली आहार के लिए आहार संयत्र स्थापित करने की अनुमानित निर्माण राशि 7.5 लाख रूपये जोकि भवन, मशीनरी व कलपुर्जो का खर्चा है, जिसमें 20 प्रतिशत की दर से कुल अनुदान 1.5 लाख रूपये दिया जाता है।
- ताजे पानी की मछली बीज उत्पादन के लिए 10 मिलियन इकाई की क्षमता वाली हैचरी के लिए अनुमानित लागत राशि 16 लाख रूपये की 10 प्रतिशत की दर से 1.60 लाख रूपये अनुदान की सुविधा प्राप्त है।
- सजावटी मछली पालकों के लिए हैचरी सहित समेकित यूनिटों के लिए 1.50 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(च) अनुसूचित जाति उप योजनाः

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक पुनर्उत्थान करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गो की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में 200 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(1) सामुदायिक तालाबों का निर्माणः–

व्यक्तिगत तौर की अपेक्षा सामुदायिक तौर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि अधिक से अधिक मत्स्य कृषकों को मत्स्य गतिविधियों से जोड़ा जा सके तथा आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को एक मंच पर सामूहिक कार्य हेतू प्रेरित किया जा सके। यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े तालाबों के पुनर्निर्माण/मुरम्मत तथा सरकारी भूमि पर नये तालाबों के निर्माण के लिए आरम्भ की गई है। अनुसूचित जाति बहुल्य गावों में इस प्रकार के तालाबों का निर्माण करवाकर उसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मत्स्य पालन हेतू पट्टे पर दिया जाता है।